

भाग ५

निर्वाचन आयोगको

सूचना

निर्वाचन आयोगले संवत् २०८१ साल मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (१) बमोजिम उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद देहाय बमोजिम तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छः-

क्र.सं.	खर्च शीर्षक	महानगरपालिका		उपमहानगरपालिका		नगरपालिका		गाउँपालिका		जिल्ला समन्वय समिति
		प्रमुख, उपप्रमुख (रुपैयाँमा)	बडा अध्यक्ष (रुपैयाँमा)	प्रमुख, उपप्रमुख (रुपैयाँमा)	बडा अध्यक्ष (रुपैयाँमा)	प्रमुख, उपप्रमुख (रुपैयाँमा)	बडा अध्यक्ष (रुपैयाँमा)	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (रुपैयाँमा)	बडा अध्यक्ष (रुपैयाँमा)	प्रमुख, उपप्रमुख (रुपैयाँमा)
१.	मतदाता नामावली खरिद	१,०००।-	५००।-	१,०००।-	५००।-	१,०००।-	५००।-	१,०००।-	५००।-	एकमुष्ट ५०,०००।-
२.	सवारी साधन/घोडा	१,५०,०००।-	३०,०००।-	१,१०,०००।-	२०,०००।-	९०,०००।-	१६,०००।-	६०,०००।-	११,०००।-	
३.	सवारी ईन्धन/दाना	४०,०००।-	१५,०००।-	२६,०००।-	१५,०००।-	१९,०००।-	११,०००।-	२०,०००।-	५,०००।-	
४.	प्रचारप्रसार सामग्री	१,००,०००।-	१,००,०००।-	८५,०००।-	३५,०००।-	१,००,०००।-	७०,०००।-	८०,०००।-	६०,०००।-	
५.	ढुवानी	२५,०००।-	१०,०००।-	१५,०००।-	८,०००।-	१०,०००।-	७,०००।-	६,०००।-	५,०००।-	
६.	गोठी, कार्यकर्ता परिचालन	१,२९,०००।-	७५,०००।-	१,००,०००।-	६५,०००।-	८०,०००।-	५१,०००।-	८०,०००।-	३२,०००।-	
७.	अन्य प्रचारप्रसार, (छापा तथा विद्युतीय माध्यम)	१५,०००।-	२०,०००।-	१,००,०००।-	१५,०००।-	६०,०००।-	१०,०००।-	३०,०००।-	७,०००।-	
८.	कार्यालय सञ्चालन	१,००,०००।-	२०,०००।-	४०,०००।-	६७,०००।-	३०,०००।-	१२,०००।-	१८,०००।-	१०,०००।-	
९.	प्रतिनिधि परिचालन	७५,०००।-	२५,०००।-	६०,०००।-	२०,०००।-	५०,०००।-	१८,०००।-	४५,०००।-	१६,०००।-	
१०.	विविध	२५,०००।-	४,५००।-	१३,०००।-	४,५००।-	१०,०००।-	४,५००।-	१०,०००।-	३,५००।-	
जम्मा		७,५०,०००।-	३,००,०००।-	५,५०,०००।-	२,५०,०००।-	४,५०,०००।-	२,००,०००।-	३,५०,०००।-	१,५०,०००।-	५०,०००।-

आज्ञाले,
रविलाल पन्थ
सचिव ।